वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 36

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण

क. वस्लियाँ और प्राप्तियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

			वास्तविक 2012-2013			ਕ ੍ਰਟ 2013-2014			सं	शोधित 2013-201	4	ਕਤਟ 2014-2015			
		मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	-	राजस्व	72239.74	45578.42	117818.16	91957.00	62459.40	154416.40	82422.97	55614.72	138037.69	61332.00	65000.00	126332.00	
		पूंजी	10652.70		10652.70	11000.00		11000.00	11000.00		11000.00	11000.00		11000.00	
		जोड़	82892.44	45578.42	128470.86	102957.00	62459.40	165416.40	93422.97	55614.72	149037.69	72332.00	65000.00	137332.00	
	_														
राज्य/संघशासित क्षेत्र	-														
योजना भिन्न अन्	ुदान														
1. संविधान	के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान														
1.01	राजस्व खाते में घाटे को पूरा करने के	3601		11716.00	11716.00		10074.00	10074.00		10074.00	10074.00		7550.00	7550.00	
4.00	लिए अनुदान स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	0004		4.4000.00	4.4000.00		00070 40	00070.40		00040.00	00040.00		00400 70	00400 70	
1.02	सड़क और पुलों के रखरखाव के लिए	3601		14266.68	14266.68		22972.46			23648.69	23648.69	•••	22493.78	22493.78	
1.03	सहायता अनुदान	3601		3663.83	3663.83	•••	5175.00	5175.00		4445.00	4445.00	•••	5665.00	5665.00	
1.04	सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए	3601					·						···		
	अनुदान														
1.05	वनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान	3601		•••	•••	•••		•••		•••		•••			
1.06	जनुरान विरासत संरक्षण को सहायता	3601													
	अनुदान														
1.07	राज्य की विशिष्ट जरूरतों के लिए	3601		2634.26	2634.26		6723.75	6723.75		2894.86	2894.86		6398.75	6398.75	
1.08	सहायता अनुदान राज्य आपदा रिस्पांस निधि	3601		5262.29	5262.29		5520.17	5520.17		5520.17	5520.17		5790.95	5790.95	
1.00	(एसडीआरएफ) (क्षमता निर्माण	3001	•••	3202.23	3202.23	•••	3320.17	5520.17	•••	3320.17	3320.17	•••	3730.33	3730.33	
	सहित)														
1.09	राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस बल के लिए	3601		•••											
	सहायता अनुदान														
1.10	निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान के लिए सहायता अनुदान	3601		360.00	360.00								•••		
1.11	पर्यावरण के लिए सहायता अनुदान	3601		1099.26	1099.26		2500.00	2500.00		1050.48	1050.48		6927.00	6927.00	
1.12	अभिशासन के लिए सहायता	3601		1636.10	1636.10		3629.02	3629.02		2478.52	2478.52		4141.52	4141.52	
	अनुदान									= 1. 3. 02					
1.13	प्रारंभिक शिक्षा के लिए सहायता	3601		4615.00	4615.00	•••	5540.00	5540.00	•••	5178.00	5178.00		5708.00	5708.00	
जीन गं	ं अनुदान विधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अ	<i></i>		45253.42	45253.42		62134.40	62134.40		55289.72	55289.72		64675.00	64675.00	
जा,ड- सा	पवान क अनुच्छ५ ∠/ ⊅(।) क अतगत अ	7417		43233.42	40200.42		<i>02134.40</i>	0∠134.40		<i>33209.12</i>	00209.72		04073.00	04073.00	

सं 36/राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण

				वार	स्तविक 2012-201	;	ਕ ੍ਰਟ 2013-2014		Į ŧ	शोधित 2013-201	4	<i>(करोड़ रुपए)</i> बजट 2014-2015			
			म्ख्य शीर्ष	 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़ जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		आयोजना-भिन्न	जोड़		आयोजना-भिन्न	जोड़
2.		ाजधानी क्षेत्र दिल्ली को केन्द्रीय करों ोों में हिस्से के एवज में अनुदान	3602		325.00	325.00		325.00	325.00		225.00	325.00		225.00	325.00
जोड़-य	ोजना भि द्य				45578.42	45578.42		62459.40	62459.40		55614.72	55614.72		65000.00	65000.00
		त क्षेत्र को अनुदान			45578.42	45578.42		62459.40	62459.40		55614.72	55614.72		65000.00	65000.00
		त क्षेत्र को सहायता अनुदान													
योजन	ाभिन्न अन्	_													
3.	अर्थोपाय														
	3.01	अदायगियां	7601					1000.00	1000.00		1000.00	1000.00		1000.00	1000.00
	3.02	घटाइए – वर्ष के दौरान वसूलियां	7601					-1000.00	-1000.00		-1000.00	-1000.00		-1000.00	-1000.00
			कुल						***						
	शासित क्षेत्र गभिन्न अन्	त्र को अनुदान नुदान													
4.	ऋणों का	र रूपांतरण/बट्टे खाते में डालना													
	4.01	राज्य सरकारों के बट्टे खाते डाले ऋण	2075												•••
	4.02	तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों के बट्टे खाते डाले ऋण	2075		220.83	220.83					63.69	63.69			
	4.03	घटाइए – निवल प्राप्तियां	0075		-220.83	-220.83		•••			-63.69	-63.69			
	4.04	घटाइए – निवल प्राप्तियां	7601					•••							
			कुल		•••			•••							
		मों के लिए अनुदान/ऋण													
<i>5.</i>	राष्ट्रीय नि	नेवेश निधि													
	5.01	राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	3601	5892.00		5892.00		•••							
	5.02	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	3601	-2344.80		-2344.80									•••
	5.03	(जेएनएनयूआरएम) के लिए एनआईएफ से ली गई धनराशि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के लिए एनआईएफ से	3601	-3547.20		-3547.20									
		ली गई धनराशि													
			कुल												
6.	एकमुश्त	-													
	6.01	सामान्य केन्द्रीय सहायता	3601	24062.73		24062.73	27636.00		27636.00			27236.00			28514.00
	6.02	के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	3260.81		3260.81	2500.00		2500.00	3779.97		3779.97	4500.00		4500.00
	6.03	अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	2146.12		2146.12	1261.00		1261.00	1420.31		1420.31	1261.00		1261.00

			i									(करोड़ रुप		
			वास्तविक 2012-2013			7	जट 2013-2014		संश	ोधित 2013-2014		3		
	_	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
6.04 केन्द्री	ोय सहायता	3601	10950.00		10950.00	9571.00	•••	9571.00	9571.00		9571.00	11000.00	•••	11000.00
6.05 विशे	ष केन्द्रीय सहायता – पर्वतीय	3601	275.02	•••	275.02	300.00	•••	300.00	300.00	•••	300.00	300.00	•••	300.00
क्षेत्र														
6.06 विशे	ष केन्द्रीय सहायता – सीमावर्ती	3601	990.00		990.00	990.00		990.00	990.00		990.00			
क्षेत्र	_													
0.01	ष योजना सहायता	3601	5523.30		5523.30	6341.00		6341.00	6341.00		6341.00	6837.00		6837.00
0.00	त सिंचाई लाभ कार्यक्रम और जल संसाधन कार्यक्रम	3601	6503.58		6503.58	12962.00		12962.00	6162.00		6162.00			
	ूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक	3601	7824.85		7824.85	9541.00		9541.00	9541.00		9541.00			•••
	यता कार्यक्रम (एनएसएपी)	0001	7021.00		7 02 1.00	0011.00		0011.00	0011.00		0011.00	•••	•••	•••
6.10 राष्ट्री	य ई-गर्वनेंस कार्रवाई योजना	3601	89.54		89.54	315.00		315.00	315.00		315.00	50.00		50.00
(एनः	ईजीएपी)													
6.11 पिछ	ड़े क्षेत्र अनुदान निधि – राज्य	3601	5338.00		5338.00	5000.00		5000.00	5000.00		5000.00	5050.00		5050.00
संघट														
	हर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवी	करण मिशन												
` '	नएनयूआरएम)													
	शहरी अवसंरचना एवं अभिशासन से संबंधित उप	3601	2105.26		2105.26	5000.00		5000.00	3667.94		3667.94			
	मिशन													
	लघु और मध्यम नगरों के लिए	3601	1314.78		1314.78	4478.00		4478.00	3523.24		3523.24			
	शहरी अवसंरचना विकास													
	(यूआईडीएसएसएमटी)													
	शहरी गरीबों के लिए मूल सेवाओं संबंधी उप मिशन	3601	970.66		970.66	1500.00		1500.00	918.82		918.82			
	(एसएम-बीएसयूपी)													
	एकीकृत आवास तथा गंदी	3601	799.89		799.89	1000.00		1000.00	743.59		743.59			
	बस्ती विकास													
	(आईएचएसडीपी)													
0	राजीव आवास योजना	3601	97.18		97.18	2022.00	•••	2022.00	1146.41		1146.41		•••	
	(आरएवाई)	0 0												
	- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहर	री नवीकरण	5287.77		5287.77	14000.00		14000.00	10000.00		10000.00			
~ a	ान (जेएनएनयूआरएम)													
	में डिशालिनेशन प्लांट के लिए रिक्त केन्द्रीय सहायता	3601				•••	•••		226.69		226.69	•••	•••	•••
6.14 बुंदेल	ाखण्ड क्षेत्र में सूखा उपशमन के	3601			.,.	•			• • •		***			
लिए	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता						•							•
6.15 एलड	डब्ल्यूई प्रभावित जिलों के लिए रिक्त केन्द्रीय सहायता	3601				1000.00		1000.00	1000.00		1000.00	2640.00		2640.00
	ारक्त कन्द्राय सहायता `अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601				540.00		540.00	540.00		540.00	1180.00		1180.00
जोड़- एकमुश्त		3001	 72251.72	•••	 72251.72	91957.00	•••	91957.00	82422.97	•••	82422.97	61332.00	•••	61332.00
जाञ्च एमसुरत	<i>ગા</i> યુવાન		12251.12	•••	12231.12	31331.00	•••	51351.00	UZ4ZZ.31		02722.31	01002.00	***	01002.00

		•				•			i i					(करोड़ रुपए)
			वास्तविक 2012-2013			<u> बजट 2013-2014</u>			सं	शोधित 2013-201	4	<u> बजट</u> 2014-2015		
	_	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
7. एक	मुश्त ऋण													
7.	.01 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	7601	10652.70		10652.70	11000.00		11000.00	11000.00		11000.00	11000.00		11000.00
जोड़-राज्य आयो	ोजना स्कीमों के लिए अनुदान/ऋण		82904.42		82904.42	102957.00		102957.00	93422.97		93422.97	72332.00		72332.00
राष्ट्रीय आपदाअं	ों के कारण राहत													
8. राष्ट्री	ोय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण /	2245		4431.87	4431.87		4800.00	4800.00		4650.00	4650.00		5050.00	5050.00
राष्ट्री	ोय आपदा निधि में अंतरण (एनडीआरएफ)													
8	.01 घटाइए-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता	0037		-1176.80	-1176.80		-1300.00	-1300.00		-1300.00	-1300.00		-1500.00	-1500.00
	शुल्क (कस्टम)													
8	.02 घटाइए-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता	0038		-3255.07	-3255.07		-3500.00	-3500.00		-3350.00	-3350.00		-3550.00	-3550.00
	शुल्क (केन्द्रीय आबकारी)													
		कुल												
9. राष्ट्री	ोय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को	2245		2810.29	2810.29		4800.00	4800.00		4650.00	4650.00		5050.00	5050.00
सहा	ायता / राष्ट्रीय आपदा राहत निधि													
(एन	ाडीआरएफ) में सहायता													
<i>9. राष्ट्र</i>	रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को स	बहायता /												
राष्ट्र	गिय आपदा राहत निधि में सहायता (एनडीआ	रएफ)												
9.	.01 घटाइए-एनसीसीएफ/एनडीआरएफ	2245		-2810.29	-2810.29		-4800.00	-4800.00		-4650.00	-4650.00		-5050.00	-5050.00
	से अंतरण द्वारा पूरी की गई धनराशि													
	पदाओं के कारण राहत													
10. वास्त	तविक वसूलियां	2075			•••									•••
		3601	-11.98		-11.98		•••			•••				
		जो,ङ	-11.98	•••	-11.98		•••			•••			•••	
कुल जोड़			82892.44	45578.42	128470.86	102957.00	62459.40	165416.40	93422.97	<i>55614.72</i>	149037.69	72332.00	65000.00	137332.00
			बजट			बजट			बजट			बजट		
		विकास शीर्ष	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परि	रेव्यय													
राज्य योजना:														
1. एकर्		43601	10652.70		10652.70	11000.00		11000.00	11000.00		11000.00	11000.00		11000.00
	ु मुश्त अनुदान	43601	72239.74		72239.74	91957.00		91957.00	82422.97		82422.97	61332.00		61332.00
जोड़ - राज्य य			82892.44	•••	82892.44	102957.00		102957.00			93422.97	72332.00	•••	72332.00
जोड़			82892.44		82892.44	102957.00		102957.00		•••	93422.97	72332.00		72332.00
			JE00E. TT	•••	JE00E. TT	. 32007.00	•••	. 32007.00	30 .22.07		30 .22.07	. 2002.00		

- 1. **राज्य सरकारों को गैर-योजना अनुदान:** राज्य सरकारों को अनुदान हेतु अनुमान तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा अन्य अनुदानों पर आधारित हैं। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित गैर-योजना अनुदान राज्यों के गैर-योजना राजस्व घाटे, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण, परिणामों में सुधार, सड़कों और पुलों के अनुरक्षण, स्थानीय निकायों, आपदा राहत तथा राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण, सड़कों विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार आदि के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं।
- 2. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के बदले अनुदान:** केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के बदले अनुदान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए यह प्रावधान किया गया है।
- 3. अर्थोपाय अग्रिम: यह अल्पकालिक नकदी विसंगति को दूर करने के लिए राज्य सरकारों हेतु अस्थाई अग्रिम के लिए प्रावधान है।
- 6.01. **सामान्य केंद्रीय सहायता:** सामान्य केंद्रीय सहायता राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए असंबद्ध सहायता है जो गाडगिल मुखर्जी फार्मूला के आधार पर आबंटित की जाती है।
- 6.02. राज्यों की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता: विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता इस मांग के माध्यम से दी जाती है। अप्रैल, 2005 से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विदेशी सहायता के बैक-टू-बैक अंतरण की नई प्रणाली प्रारंभ की गई थी जिसके अंतर्गत विदेशी सहायता उन्हीं शर्तों पर सामान्य श्रेणी के राज्यों को प्रदान की जाती है जिन पर यह सहायता दाता एजेंसियों से केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। चालू परियोजनाओं (01 अप्रैल, 2005 से पहले हस्ताक्षरित) के मामले में सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए सहायता सामान्य केंद्रीय सहायता की पद्धित के आधार पर प्रदान की जाती है (70 ऋण : 30 अनुदान)। तथापि विशेष वर्ग के राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण पद्धित पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है।
- 6.03. अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता: यह सहायता परियोजनाओं से जुड़ी होती है और सामान्यतः सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 30 प्रतिशत अनुदान घटक शामिल होता है।
- 6.04. विशेष केंद्रीय सहायता: यह सहायता विशेष श्रेणी के राज्यों की वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण के लिए संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए आबंटित की जाती है।
- 6.05. पर्वतीय क्षेत्र / पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता: यह 100 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान है जो पहचाने गए पर्वतीय क्षेत्रों और पश्चिमी घाटों में विकास परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है।
- 6.06. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता:** यह योजना संबंधित मंत्रालय अर्थात गृह मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है।

- 6.07. विशेष योजना सहायता: यह सहायता राज्यों द्वारा अभिनिर्धारित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों (सामान्यतः 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में) को प्रदान की जाती है जो विकास के लिए गैर आवर्ती व्यय हेतु किसी केंद्रीय स्कीम में शामिल नहीं हैं।
- 6.08. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** यह योजना संबंधित मंत्रालय अर्थात जल संसाधन मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है।
- 6.09. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता: यह योजना संबंधित मंत्रालय अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है।
- 6.10. **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** केवल एक संगठन नामत: मिशन मोड स्टेट ट्रेजडी कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को छोड़कर यह योजना संबंधित मंत्रालय अर्थात संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है।
- 6.11. **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के लिए विशेष केंद्रीय सहायता:** पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष स्कीम का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करना है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के राज्य घटक में बिहार, पश्चिम बंगाल तथा ओडीशा के कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुत जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड सूखा उपशमन पैकेज के लिए धनराशि भी इस प्रावधान में शामिल हैं।
- 6.12. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता: यह योजना संबंधित मंत्रालय अर्थात आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है।
- 6.14. **बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सूखा उपशमन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता:** बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा कम करने के लिए प्रावधान को मंद सं. 6.11 पर बीआरजीएफ के लिए एससीए के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 7.01. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु ब्लाक ऋण: लेखों के पूँजी शीर्ष के अंतर्गत राज्यों की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण घटक हेतु धनराशि का प्रावधान।
- 8. **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राज्यों को सहायता:** 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थापित तत्कालीन राष्ट्रीय आपदा आपात कोष का 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आपात कोष से एकत्रित धनराशि, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में अंतरित कर दी जाती है तथा राज्यों की सहायता के लिए राज्य के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से पूरक धनराशि प्रदान की जाती है ताकि राज्यों की क्षमता से परे आपदाओं के मामले में तत्काल राहत प्रदान की जा सके।